समक्ष :- माननीय , म0 प्र0 राजस्व मंडल ग्वालियर ।

निगरानी याचिका क्रमांक - I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा.स./2017/2811

रामदयाल पुत्र मोहन सींग लोधी निवासी

ग्राम -सुनवाहा तहसील बकस्वाहा जिला-

छतरपुर म0 प्र0 ---------------- निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1- बिहारी तनय बिरजू लोधी

2 - जगत तनय सल्ला लोधी

दोनों निवासी ग्राम -सुनवाहा तहसील

बकस्वाहा जिला-छतरपुर म0 प्र0

3 - मध्यप्रदेश शासन ------------------ प्रति निगरानीकर्तागण

विनोद श्रीवास्तव एड.
22-8-2017

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बकस्वाहा द्वारा राजस्व प्रकरण

प्रकरण क्रमांक 18/ अ 6 अ / 2016 -17 में पारित आदेश

दिनांक :- 28.07. 17 के विरूद्ध ।

निगरानीकर्ता निम्नांकित निगरानी याचिका प्रस्तुत कर विनय है करता है :-

1 - यह कि अधिनस्थ न्यायालय आदेश दिनांक 28.07.17 से एवं आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने की तिथि से निगरानी याचिका समयावधि में प्रस्तुत की जा रही आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न प्रस्तुत है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

2 - यह कि ग्राम सुनवाहा पटवारी हल्का नम्बर 22 स्थित भूमि खसरा नम्बर 704 रकबा 0.745 जो कि निगरानी कर्ता के नाम बतौर भूमि स्वामी दर्ज होकर निगरानी कर्ता का कब्जा है के संबंध में प्रतिनिगरानी कर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 115,116 म0 प्र0 भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि उक्त भूमि में 2/3 हिस्सा लच्छी बाई, बिहारी का,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/2811 रामदयाल विरूद्ध शासन व बिहारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार बकस्वाहा के प्रकरण क्रमांक 18/अ-6-अ/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 28-07-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) सदस्य 25/2/2019	